

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1457)/2024/ 125

दिनांक : 18/03/2024

आदेश

निम्नलिखित लैब टैक्नीशियन, जिनका राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	नाम विलोपित तिथि
1.	स्व0 श्री कैलाश चन्द मीना लैब टैक्नीशियन	सीएचसी पिनान खण्ड रेणी, अलवर।	12.02.1967	07.02.2011	13.10.2023
2.	स्व0 श्री कैलाश चन्द लैब टैक्नीशियन	श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, सीकर।	01.01.1969	25.04.1988	30.12.2023

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 18/03/2024

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1457)/2024/ 125

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर।
3. अधीक्षक, श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, सीकर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. संबंधित कर्मचारियों के आश्रित परिवार को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के

विरुद्ध यदि

आडिट पेरा या

अन्य कोई वसूली

बकाया हो तो

उसकी वसूली

तत्काल कर

निदेशालय को

अवगत करावें।

RajKaj Ref
6196859

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma

Designation: Director

Date :18-03-2024 05:25:08